पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री कैलाश चन्द यादव निवासी–ग्राम लिसाड़िया, तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर, मैसर्स– नोलखा होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, अजीतगढ़ श्रीमाधोपुर रोड़ लिसाड़िया तह. श्रीमाधोपुर सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 10.02.2021 को समय 5:00 पी.एम. पर लिसाड़िया श्रीमाधोपुर में निरक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स नोलखा होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, में अप्रार्थीगण द्वारा पनीर व पनीर से बने भोजन का विक्रय कर रहे थे। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया महेश कुमार से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2021 होना बताया व दिखाया

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:15 IST
Reason: SelfAttested.

Scanned with OKEN Scanner

फर्म पर श्री मुकेश कुमार यादव द्वारा पनीर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध पनीर के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच पनीर 1 किलो खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मुकेश कुमार यादव को 220रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2180 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) का उल्लघंन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:02:15 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
(अनिल कुमार)
अति. जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नीमकाथाना एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner